राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–163/2011/उदयपुर

1. मैसर्स जय जय श्रीनाथ भगवान एण्ड कम्पनी, उदयपुर। ....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, उदयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक शर्मा
अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 21.02.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 29.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, उदयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत् धारा 73(2) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 07.09.2009 के जरिये कायम की गयी शास्ति रूपये 36,173/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी केरोसीन का होलसेलर है। तथा कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के दौरान उनके द्वारा प्रशमन का विकल्प ले रखा था। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपने निर्णय दिनांक 07.09.2009 द्वारा व्यवसाई द्वारा वैट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा 73(2) के अन्तर्गत कुल टर्न ओवर 3,61,72,638/– रू. की 1/10 प्रतिशत शास्ति राशि रू. 36,173/– आरोपित की। व्यवसाई द्वारा इस निर्णय के विरूद्व उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसमें निर्णय दिनांक 29.10.10 द्वारा अपील इस आधार पर खारिज की गई है कि ऑडिट रिपोर्ट से मुक्ति के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 08.07.09 भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की गई है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त निर्णय के विरूद्व राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई हैं।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अधिसूचना दिनांक 08.07.09 की सही व्याख्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है क्योकि धारा 73(2) प्रकिया के संबंध में है तथा इस अधिसूचना द्वारा ऑडिट रिपोर्ट से मुक्ति प्रदान की गई है जो स्वतः ही इस अधिसूचना से पूर्व के मामलों में भी लागू होगी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर कर अधीनस्थ न्यायालय एवं कर निर्धारण अधिकारी का आदेश निरस्त किया जावें।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत हैं। उन्होंने प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. विचाराधीन प्रकरण में व्यवसाई करोसीन का होलसेलर है जिसने प्रशमन का विकल्प ले रखा था। वैट अधिनियम की धारा 73(2) के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर शास्ति का प्रावधान है। स्वीकार्य रूप से व्यवसायी ने ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। अधिनियम की धारा 76(2) का यह उद्देश्य प्रतीत होता है कि जिन व्यवसाईयों द्वारा प्रशमन का विकल्प लिया गया है उनके लेखों के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत होनी चाहिए ताकि करवंचना न हो। इस प्रकार यह प्रावधान ~~अ~~ प्रकियात्मक नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य वास्तविक रूप से कर निर्धारण का है। इस संबंध में संबंधित अधिसूचना का उल्लेख करना भी समीचीन है :–

S. No. V402 : No. F. 12 (84)FD/Tax/2009-27 dated 08-07-09

S.O. 112 - In Exercise of the powers conferred by S.73(1), Raj VAT ACt, 2003 the State Govt. hereby dispenses with the requirement of furnising report audited by an Accountant, in case of the registered dealers having retail outlet of petroleum companies or who exclusively deals in exempted goods.

लगातार.....3

यह सही है कि इस अधिसूचना के द्वारा पैट्रोलियम कम्पनियों के पंजीकृत डीलर्स या एक्जेम्टीड गुड्स के व्यापारियों को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त किया गया है। यह अधिसचूना भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की गई है जिससे अधिसूचना दिनांक 08.07.09 से पूर्व के मामलों में इसे लागू नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार्य योग्य नहीं है कि 73(2) का प्रावधान मात्र प्रकियात्मक है जिससे इस अधिसूचना पर प्रभाव पूर्ववर्ती मामलों में भी लागू होता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों एवं विधि के अनुरूप निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.10.2010 को पुष्ट करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य